संख्या- 35/2022/485/छप्पन-2022-11/2013टी.सी.-2

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2022

विषय: जनपद अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-596/आर0सी0एस0-2022-ए-3/2018 दिनांक 21 मार्च, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु रू0 11.82 करोड़ (रूपए ग्यारह करोड़ बयासी लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन हेतु जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु व्यय की जाने वाली कुल धनराशि रू0 85.64 करोड़ (रूपया पच्चासी करोड़ चौसठ लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में रू0 2.00 करोड़ (रूपए दो करोड़ मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-111/2021/2122/छप्पन-2021-11/ 2013टी.सी.-2 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 द्वारा व्यय हेतु अवमुक्त की गई थी।

3- आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 21 मार्च, 2022 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद अयोध्या स्थित राजकीय हवाई पट्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित भूमि पर अवस्थित बाधा बन रही विद्युत लाइनों की पुनर्स्थापना हेतु धनराशि रू0 11.82 करोड़ (रूपए ग्यारह करोड़ बयासी लाख मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 5.00 करोड़ (रूपए पॉच करोड़ मात्र) की चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(8) उक्त के अतिरिक्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-111/2021/2122/छप्पन-2021-11/2013टी.सी.-2 दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5.00 करोड़ (रूपए पॉच करोड़ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, अयोध्या के निर्वतन पर रखी जायेगी। जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उक्त धनराशि यथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार उपलब्ध कराई जाएगी।

5- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 पूंजी लेखा "लेखा शीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-60-भूमि क्रय'' से वहन किया जाएगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-3557/दस-2021-22, दिनांक 30 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 35/2022/485(1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।

4- जिलाधिकारी, अयोध्या।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।

6- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/ ऊर्जा अनुभाग-3.

8- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।